भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 233
सोमवार, 05 फरवरी, 2024/16 माघ, 1945 (शक)

रोजगार सृजन में सुधार

233. श्री राजीव प्रताप रूडी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि देश में रोजगार सृजन में सुधार हुआ है;

(ख) क्या सरकार देश के युवाओं को केंद्र और राज्य दोनों स्तरों (पीएसयू सहित) में रोजगार उपलब्ध करा रही है;

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक क्षेत्र में रोजगार का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार देश भर में निजी क्षेत्र में रोजगार को प्रोत्साहित कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो देश भर में राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर निजी संगठित क्षेत्र में सृजित रोजगारों की कुल संख्या कितनी है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) और (ङ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, वर्ष 2018-19, 2019-20, 2020-21, 2021-22 और वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) क्रमशः 47.3%, 50.9%, 52.6%, 52.9% और 56.0% है। यह आंकड़ों दर्शाते हैं कि रोजगार का संकेत देने वाले डब्ल्यूपीआर में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि की प्रवृत्ति है।

देश भर में रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और नई नियुक्तियों को विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसयू)/स्वास्थ्य और शिक्षा संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों आदि सहित स्वायत्त निकायों में शामिल किया जा रहा है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में रिक्त पदों का भरा जाना एक सतत प्रक्रिया है। सभी रिक्त पदों को मिशन मोड में भरा जा रहा है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा वेतन और भत्तों पर जारी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र सरकार और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों में नियमित सिविलियन कर्मचारियों की संख्या दिनांक 01 मार्च, 2020, दिनांक 01 मार्च, 2021 और दिनांक 01 मार्च, 2022 को क्रमशः 31.91 लाख, 31.15 लाख और 30.64 लाख थी। राज्य सरकार-वार जानकारी केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

वर्ष 2022-23 के दौरान, केंद्र सरकार में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी), कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों की कुल संख्या 1,61,550 थी। इसके साथ-साथ, कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) और रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही में नियुक्ति के लिए 1,03,196 उम्मीदवारों की अनुशंसा की है।

वित्त मंत्रालय के लोक उद्यम विभाग (डीपीई) के पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसईएस) में काम करने वाले नियमित कर्मचारियों की कुल संख्या वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान क्रमशः 9.20 लाख, 8.61 लाख और 8.60 लाख थी।

इसके अलावा, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में निवल वृद्धि, रोजगार बाजार की सामान्य स्थिति और संगठित एवं अर्ध-संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा लाभों के कवरेज का एक संकेतक है। वर्ष 2020-21 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि इस प्रकार है:

(संख्या में)

वर्ष	ईपीएफ अंशधारकों में निवल वृद्धि (सभी आयु)
2020-21	77,08,375
2021-22	1,22,34,625
2022-23	1,38,51,689

स्रोत: ईपीएफओ, पे-रोल डेटा

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों के सृजन तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः स्थापन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 19.01.2024 तक, योजना के तहत 60.49 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने देश भर में रोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों के केंद्र में है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। इस पैकेज में, देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 31.01.2024 तक, 83.67 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। पीएमएमवाई के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 26.01.2024 तक 46.16 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिससे 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं।

युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई), "राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस)" का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसमें सरकार प्रशिक्षुओं को देय वजीफे के 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति करती है।

सरकार, ग्रामीण स्वरोजगार और प्रशिक्षण संस्थानों (आरएसईटीआई) के माध्यम से उद्यमिता विकास के लिए ग्रामीण युवाओं को कौशल प्रदान करने हेतु एक कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रही है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशिप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

*****